छत्तीसगढ़ में GST ई-वे बिल प्रावधान अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **छत्तीसगढ़ सरकार** ने एक अधिसूचना जारी कर **50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सभी अंतर्राज्यीय माल परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना अनिवार्य कर दिया है,** जिससे कुछ वस्तुओं के लिये पहले दी गई छूट समाप्त हो गई है।

- ई-वे बिल एक **अनुपालन प्रणाली** है, जिसमें डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से माल की आवाजाही करने वाला व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू होने से पहले प्रासंगिक जानकारी अपलोड करता है और वस्तु एवं सेवा कर (GST) **पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार** करता है।

मुख्य बिंदु:

- प्रारंभ में, ज़िलों के भीतर विशिष्ट वस्तुओं की **आवाजाही को सरल बनाने के लिये अपवाद दिये गए थे,** लेकिन **अनुपालन में सुधार लाने तथा धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहारों में कमी लाने हेतु इन्हें वापस ले लिया गया है।**
- नीति में यह बदलाव ई-वे बिल प्रणाली **के साथ समायोजन के छह वर्ष बाद आया है,** जिसे शुरू में **वर्ष 2018 में लागू किया गया था।** प्रणाली के अभ्यस्त होने की अवधि ने व्यवसायों और ट्रांसपोर्टरों को इससे परिचित होने का मौका दिया है, जिससे छूट समाप्त हो गई है।
- इन छूटों को समाप्त करने का उद्देश्य सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी बिलिंग जैसी समस्याओं का समाधान करना है, जो पिछली रियायतों का लाभ उठा रहे हैं।
- इसका लक्ष्य **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना, ITC संग्रह को बढ़ाना और वैध व्यवसायों के लिये समान अवसर उपलब्ध कराना है।**

इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल

- इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या 'ई-वे बिल' प्रणाली GST व्यवस्था में **10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु की अंतर्राज्यीय और अंतः राज्यीय आवाजाही को ट्रैक करने के लिये तकनीकी ढाँचा प्रदान करती है।**
- जब ई-वे बिल तैयार किया जाता है, तो एक **अद्वितीय ई-वे बिल नंबर (EBN) आवंटित किया जाता है** तथा यह आपूर्तिकर्त्ता, प्राप्तकर्त्ता और ट्रांसपोर्टर के लिये उपलब्ध होता है।
- इसे निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु लॉन्च किया:
  - वस्तु की तीव्र आवाजाही को सुगम बनाना।
  - वाहनों के टर्नअराउंड समय में सुधार करना।
  - यात्रा की औसत दूरी बढ़ाकर और यात्रा के समय के साथ-साथ लागत को कम करके लॉजिस्टिक्स उद्योग की सहायता करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-mandated-gst-e-way-bill-provisions